झारखण्ड सरकार
पर्यटन निदेशालय
एम०डी०आई० भवन, द्वितीय तल, धुर्वा, राँची–4
फोन / फैक्स–0651–2331828
ई–मेल : dirjharkhandtourism@gmail.com/jtdcltd@gmail.com

Ref. No. : **1088/2018** Ranchi/Dated : **07.12.2018**

इच्छा की अभिव्यक्ति का आमंत्रण

झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० हटिया डैम पार्क, राँची में हस्तशिल्प / हस्तकरघा को बढ़ावा देने हेतु हस्तशिल्प गाँव (Handicraft Village) विकसित करना चाहती है। उक्त निमित हटिया डैम पार्क, राँची स्थित कुल 08 कियोस्क को **''जहाँ है जैसा है''** के आधार पर संचालन हेतु 11 माह के लिए देने हेतु निर्णय लिया गया है। उक्त 08 कियोस्क में से 02 कियोस्क को फुड कियोस्क के रूप में तथा शेष 06 कियोस्क को हस्तशिल्प / हस्तकरघा Outlet के रूप में संचालन हेतु स्वयं सहायता समूह / महिला स्वयं सहायता समूह (SHG/WSHG) से प्रस्ताव आमंत्रित करती है।

नियम एवं शर्तें :–

1. स्वयं सहायता समूह / महिला स्वयं सहायता समूह (SHG/WSHG) द्वारा अग्रधन / सुरक्षित जमा के रूप में राशि रू० 1,000.00 (रू० एक हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट (किसी भी अधिसूचित बैंक से निर्गत) जो झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० के नाम देय होगा एवं राँची में भुगतेय होगा के साथ निविदा दिनांक 28.12.2018 को अपराह्न 02:00 बजे तक झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, 5, महात्मा गाँधी मार्ग, राँची में जमा किया जा सकता है, जिसे उसी दिन अपराह्न 04:30 बजे निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी एवं आवश्यकतानुसार लॉटरी के आधार पर स्टॉल आवंटित किया जाएगा।
2. निविदा सादे कागज पर पूर्ण विवरण के साथ जमा करेंगे। फैक्स / ईमेल के द्वारा जमा की गई निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
3. स्वयं सहायता समूह / महिला स्वयं सहायता समूह (SHG/WSHG) द्वारा प्रमाण पत्रों की छायाप्रति (स्वयं अभिप्रमाणित) संलग्न करना होगा :–
   a) कम से कम दो राजकीय अथवा राष्ट्रीय स्तर के हस्तशिल्प / हस्तकरघा मेला मे भागीदारी करने संबंधी, संबंधित विभाग / सोसाईटी द्वारा निर्गत पत्र प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना होगा।
   b) स्वयं सहायता समूह / महिला स्वयं सहायता समूह (SHG/WSHG) के नाम का बैंक अकाउन्ट स्टेटमेंट की अद्यतन प्रति।
4. सफल स्वयं सहायता समूह / महिला स्वयं सहायता समूह (SHG/WSHG) द्वारा कियोस्क को प्रतिवर्ष मेन्टेनेन्स किया जाएगा तथा अन्दर बाहर झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० के स्तर से अनुमोदित Paint/Snowsem आदि से प्रतिवर्ष पेंटिंग कार्य स्वयं के खर्च पर करना होगा।
5. स्वयं सहायता समूह / महिला स्वयं सहायता समूह (SHG/WSHG) द्वारा कियोस्क एवं इसके आस–पास की साफ–सफाई, सजावट इत्यादि का कार्य स्वयं के खर्च पर किया जाएगा।
6. किसी भी निविदा / प्रस्ताव को अथवा पूरी निविदा प्रक्रिया को बिना कारण बताए स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार पर्यटन निगम के पास पूर्णतः सुरक्षित रहेगा।
7. फुड कियोस्क का उपयोग फुड स्टॉल के रूप में ही किया जा सकेगा तथा हस्तशिल्प / हस्तकरघा कियोस्क का उपयोग हस्तशिल्प / हस्तकरघा Outlet के रूप में ही किया जा सकेगा। उक्त कियोस्क में अन्य व्यवसाय की अनुमति नहीं होगी। ऐसा पाये जाने पर आवंटी द्वारा जमा की गई अग्रधन / सुरक्षित जमा राशि जप्त करते हुए आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।
8. एक स्वयं सहायता समूह / महिला स्वयं सहायता समूह (SHG/WSHG) द्वारा एक ही कियोस्क के लिए प्रस्ताव समर्पित किया जा सकता है।
9. सफल स्वयं सहायता समूह / महिला स्वयं सहायता समूह (SHG/WSHG) द्वारा कियोस्क का 11 माह सफलता पूर्वक संचालन उपरान्त अगले 11 माह के अवधि विस्तार पर विचार किया जा सकता है।
10. निविदा के संबंध में इच्छुक स्वयं सहायता समूह / महिला स्वयं सहायता समूह (SHG/WSHG) के साथ दिनांक 14.12.2018 को अपराह्न 04:00 बजे झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० के पंजिकृत कार्यालय, पर्यटन भवन, 5, महात्मा गाँधी मार्ग, राँची में बैठक आयोजित की जाएगी।

ह० / –
–निदेशक